राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

स्वायत्त शासन भवन जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

E-mail : caodlb@gmail.com Phone 0141 – 2223074

क्रमांक : प.6(च)(469)स्वी/लेखा/डीएलबी/नदबई/2020/ 1313-1525 दिनांक : 20/06/22

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका
समस्त राजस्थान।

विषय : राज्य की नगरीय निकायों द्वारा आमन्त्रित ई–निविदाओं में संवेदकों के भौतिक दस्तावेज/डीडी जमा करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य की विभिन्न नगरीय निकायों द्वारा विभिन्न कार्यो हेतु ई–निविदायें आमन्त्रित की जाती है। संवेदकों द्वारा ई–निविदा में भाग लेने के उपरान्त निविदा में वर्णित शुल्क, अमानता राशि तथा फीस के डीडी कार्यालय में भौतिक रुप से जमा कराने होते है। निदेशालय में इस सम्बन्ध में नगरीय निकायों द्वारा संवेदकों के भौतिक डीडी जमा नही होने की शिकायतें प्राप्त हो रही है।

अतः समस्त कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि नगरीय निकायों द्वारा आमन्त्रित निविदा के भौतिक डीडी या अन्य दस्तावेज प्राप्त करने के लिए किसी अधिकारी कर्मचारी को नामित किया जावेगा। नगरीय निकायों द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी के नाम, पदनाम तथा उसके लिए निर्धारित कक्ष की सूचना सार्वजनिक रुप से प्रदर्शित की जावे। इसके साथ ही निकाय द्वारा नामित उक्त कार्मिक का यह कर्तव्य होगा कि वे प्रत्येक संवेदक जिसके द्वारा भौतिक डीडी/अभिलेख प्रस्तुत किये जा रहे है, को प्राप्त करते हुए नियमानुसार प्राप्ति रसीद जारी करेंगे। इसके साथ ही कार्यकारी अधिकारी द्वारा उक्त समस्त कार्यवाही की विडियोग्राफी की जावेगी तथा प्रत्येक निविदा की विडियोग्राफी की सीडी बनाई जाकर उसकी एक प्रति नामित अधिकारी के कार्यालय में तथा एक नगर पालिका कार्यालय के रिकार्ड में सुरक्षित रखी जावेगी जिससे कि विवाद/शिकायत की स्थिति में सीडी की मदद से समुचित निर्णय लिया जा सके।

यदि किसी कार्यालय में डीडी/भौतिक दस्तावेज नही लिये जाने या सम्बन्धित नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कार्यालय/कक्ष में उपस्थित नही रहने की शिकायत प्राप्त होती है और सम्बन्धित निकाय द्वारा अपने समर्थन में उक्त सीडी प्रस्तुत नही की जाती है तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(ह्रदेश कुमार शर्मा)(IAS)
निदेशक व संयुक्त शासन सचिव